राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः एफ.1(3)कार्मिक/क-2/2007 जयपुर, दिनांकः 19.03.2020

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 से संलग्न अनुसूची-I के क्र.सं. 15 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "विकास अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी (जि.प.)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान के पद" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)

शासन उप सचिव

25/2020